न्<u>यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड</u>

(आप.प्रक.क. :- 301 / 2017) (संस्थित दिनांक :- 12 / 07 / 17)

म.प्र.राज्य,	
द्वारा आरक्षी केन्द्र :	मौ।
जिला–भिण्ड., म.प्र.	

...... अभियोजन।

/ / विरूद्ध / /

- 01. सरनाम जाटव पुत्र भोगीराम जाटव, उम्र 62 वर्ष।
- 02. राकेश जाटव पुत्र सरनाम जाटव, उम्र 33 वर्ष।
- 03. श्रीमती कुन्ठीबाई पत्नी सरनाम सिंह, उम्र 55 वर्ष।
- 04. श्रीमती रीनाबाई पत्नी राकेश जाटव, उम्र 30 वर्ष।
- 05. रणवीर जाटव पुत्र सिरनाम जाटव उम्र 24 वर्ष। निवासीगण :— ग्राम चादन खेरिया, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

...... अभुियक्तगण ।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक :- 04/10/2017 को घोषित)

- 01. आरोपीगण सरनाम, राकेश, श्रीमती कुन्ठीबाई, श्रीमती रीनाबाई एवं रणवीर जाटव पर धारा 498 ए, 147, 294 एवं 323/149 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक: 13/06/2017 को दोपहर लगभग 02:00 बजे, फरियादी प्रीती जाटव की ससुराल स्थित ग्राम चादन खेरिया में, फरियादी प्रीती से उसके पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उदद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उदद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने लात—घूसों से फरियादी श्रीमती प्रीती की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी श्रीमती प्रीती को मॉ—बहिन की गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया।
- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है। प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि अभियुक्त रणवीर, फरियादी प्रीती का पित, अभियुक्त रीना जेठानी, आरोपी कुंठीबाई उर्फ बैकुण्ठी सास, आरोपी राकेश जेठ एवं आरोपी सिरनाम ससुर है।

- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 13/06/2017 को दोपहर लगभग 02:00 बजे, फरियादी प्रीती जाटव की ससुराल स्थित ग्राम चादन खेरिया में, आरोपीगण द्वारा फरियादी प्रीती से दहेज की मांग कर उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार कर उससे गाली—गलौच करने, उसकी लात—घूसों से मारपीट करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी प्रीती जाटव द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 155/17 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 498 ए सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। फरियादी प्रीती की निशानदेही पर घटनास्थल का मौका—नक्शा तैयार किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी प्रीती, साक्षीगण आरती, दीवान सिंह एवं सुनील के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04. आरोपीगण सरनाम, राकेश, श्रीमती कुन्ठीबाई, श्रीमती रीनाबाई एवं रणवीर जाटव के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 498 ए, 147, 294 एवं 323 / 149 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुकतगण ने आरोप से इंकार कर विचारण चाहा। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी / आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294 एवं 323 / 149 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेत् प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :--
- 01. क्या आरोपीगण ने दिनांक : 13/06/2017 को दोपहर लगभग 02:00 बजे, फरियादी प्रीती जाटव की ससुराल स्थित ग्राम चादन खेरिया में, फरियादी प्रीती से उसके पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार किया?
- 02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उदद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
 - 03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष विचारणीय प्रश्न कमांक : 01 एवं 02

- 06. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्द् क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी प्रीती अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आरोपी रणवीर उसका पति, आरोपी रीना उसकी जेटानी, आरोपी कुंटीबाई उर्फ बैकुंटी उसकी सास, आरोपी राकेश उसके जेट एवं आरोपी सरनाम उसके ससुर है। साक्षी आगे कहती है कि उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 04/09/2017 से लगभग एक साल पहले दोपहर के समय उसका, उसके ससुरालीजन / उपरोक्त आरोपीगण से पारिवारिक काम-काज को लेकर मुंहवाद हो गया था, जिसमें आरोपीगण द्वारा नाराज होकर उसे गालियाँ दी गई थी, जिससे दु:खी होकर उसके द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध थाना मौ में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी प्रीती अ.सा.01 ने आरोपीगण द्वारा दिनांक :- 13/06/2017 को दोपहर लगभग 02:00 बजे, उससे दहेज की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार करने एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन करने और उक्त जमाव के सामान्य उदद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा करने का तथ्य नहीं बताया है। इस वावत् फरियादी प्रीती अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।
- 08. आरोपीगण एवं फरियादी / आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और फरियादी प्रीती अ.सा.01 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 09. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक :— 13/06/2017 को दोपहर लगभग 02:00 बजे, फरियादी प्रीती जाटव की ससुराल स्थित ग्राम चादन खेरिया में, फरियादी प्रीती से उसके पित एवं पित के नातेदार होते हुए दहेज की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उदद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

- उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण सरनाम, राकेश, श्रीमती कुन्ठीबाई, श्रीमती रीनाबाई एवं रणवीर जाटव के विरूद्ध धारा 147 एवं 498 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 147 एवं 498 ए भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायाल्य में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)